संख्या-03/2025/I/839534/2025/71-2002(001)/1/2024

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक-**02-01-2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में डा0 राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ के मुख्य चिकित्सा भवन, आंकोलोजी भवन एवं प्रशासनिक भवन में स्मोक स्ट्रैक्शन सिस्टम, इंटरनल स्टेयर केसों में फायर चेक डोर एवं प्रेशराइजेशन सिस्टम तथा टाक बैक सिस्टम की स्थापना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1664/डा0रा0म0लो0इ0मे0सा/विद्युत/2024, दिनांक 22.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में डा0 राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ के मुख्य चिकित्सा भवन, आंकोलोजी भवन एवं प्रशासनिक भवन में स्मोक स्ट्रैक्शन सिस्टम, इंटरनल स्टेयर केसों में फायर चेक डोर एवं प्रेशराइजेशन सिस्टम तथा टाक बैक सिस्टम की स्थापना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ के मुख्य चिकित्सा भवन, आंकोलोजी भवन एवं प्रशासनिक भवन में स्मोक स्ट्रैक्शन सिस्टम, इंटरनल स्टेयर केसों में फायर चेक डोर एवं प्रेशराइजेशन सिस्टम तथा टाक बैक सिस्टम की स्थापना किये जाने हेतु संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव धनराशि रू0 1602.78 लाख के सापेक्ष व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत धनराशि रू0 1466.45 लाख लाख (रूपये चौदह करोड छाछठ लाख पैतालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 24-वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 733.22 लाख (रुपये सात करोड़ तैंतीस लाख बाईस हजार मात्र) (अनुदान संख्या-31 से रू0 579.24 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 153.98 लाख) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गयी है। निदेशक, संस्थान द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो।
2. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य प्रोप्राइटरी श्रेणी के होने के कारण इसके स्पेशीफिकेशन एवं निर्माता भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। अतः निदेशक, डा0 राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, विभूतिखण्ड,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

गोमतीनगर, लखनऊ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाये, जिसमें कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक के साथ-साथ अग्निशमन विभाग के अधिकारी को भी सम्मिलित किया जाये। उक्त समिति द्वारा संस्तुत स्पेशीफिकेशन के आधार पर ही निर्माण कार्य कराये जायें, जिससे भविष्य में अन्यथा की स्थिति से बचा जा सके।

3. निदेशक, संस्थान द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।
4. निदेशक, संस्थान द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, संस्थान का होगा
6. निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय
7. प्रायोजना का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
9. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
11. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
12. प्रश्नगत कार्य के लिये निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
13. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
14. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियॉ सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, संस्थान/कार्यदायी संस्था का होगा।
15. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन /महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
16. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1- 294 /दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

17. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 5,79,24,000 (रुपये पाँच करोड़ उनासी लाख चौबीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050400 डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर , लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,53,98,000 (रुपये एक करोड़ तिरेपन लाख अट्ठानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037892800 डा0 राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-266/दस-2024-25 दिनांक 23-12-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-03/2025/1/839534/2025/71-2002(001)/1/2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमि0।
8. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।